"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249] रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 जुलाई 2018 — आषाढ़ 16, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 जून 2018

अधिसूचना
सं. 12/2018-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-33/2018/वाक/पांच(50). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद् की सिफारिश पर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 8/2017- राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच/(76) तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, और जिसको अधिसूचना सं. 10/2018 - राज्य कर (दर), क्रमांक एफ-10-15/2018/वाक/पांच/(27) तारीख 23 मार्च, 2018, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 130 तारीख 2 अप्रैल, 2018 में प्रकाशित किया गया था, द्वारा अंतिम बार संशोधित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, "30 जून 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर "30 सितम्बर, 2018" अंक और शब्द रखा जाएगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 जून 2018

क्रमांक एफ-10-33/2018/वाक/पांच(50). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-33/2018/वाक/पांच (50), दिनांक 29-06-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 29th June 2018

NOTIFICATION
No. 12/2018 – State Tax (Rate)

No. F-10- 33 /2018/CT/V (50). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 8/2017-State Tax (Rate), F-10-43/2017/CT/V (76), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, and last amended in the Commercial Tax Department, Notification No. 10/2018-State Tax (Rate), F-10-15/2018/CT/V (27), dated the 23rd March, 2018 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 130, dated the 2nd April, 2018, namely :-

In the said notification, for the figures, letters and words "30th day of June, 2018", the figures, letters and words "30th day of September, 2018" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.